



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 सितम्बर 2015—भाद्र 19, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा समय-सीमा में निराकरण न होने की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं (2)	पदाभिहित अधिकारी का नाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील अधिकारी के निराकरण की निश्चित दिनाम की गई समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
15.10	मंजिली गाड़ी के लिये अस्थाई परमिट जारी करना.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा उनके द्वारा प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अंतर्गत पदाधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त
15.11	मंजिली गाड़ी के लिये स्थाई परमिट जारी करना.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	45 कार्य दिवस.	संभागायुक्त

आवेदन के निराकरण से संतुष्ट न होने पर गुण दोषों के आधार पर अपील, मोटरयान नियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण को की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव।